पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस) क्या है?

   पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो प्रतिकूल मौसम मानकों जैसे वर्षा, तापमान, नमी आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कवर करती हैं। जो किसानों को प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप खेतों में होने वाली हानि से सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।

2. मौसम के कौन से मापदंड हैं जिसके कारण फसलें प्रभावित होती हैं और जोखिम कवर किया जाता है?

   मौसम मानदंड वर्षा कमी/अधिकता, सूखे दिनों की परेशानी(सूखा),तापमान की अत्यधिक अस्थिरता, कम/अधिक तापमान, संबंधित नमी, वायु की गति और/या उपर्युक्त सभी का संयोजन हो सकते हैं।

   प्रत्येक फसल के लिए उत्पाद के नियम और शर्तें पहले से ही निर्धारित और सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित होता है।

3. दावों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

   a. दावों की गणना उत्पाद की शर्तों की शीट में उल्लेखित पूर्व सहमत सहिष्णुता और सीमा स्तर के लिए की जाती है और दावों की गणना के लिए किसी अन्य प्रणाली और परिकलन का प्रयोग नहीं किया जाता।

   b. दावों का मूल्यांकन केवल अधिसूचित मौसम स्टेशन पर मौसम आंकड़ों के आधार पर ही की जाएगी और दावा प्रक्रिया एक बार मौसम आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद प्रारंभ होगी।

   c. दावा प्रक्रिया सख्ती से उत्पाद शर्त शीट, भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार होगी।

   d. मौसम के आंकड़े आईएमडी(भारतीय मौसमविज्ञान विभाग), एनसीएमएल(राष्ट्रीय सहायक प्रबंधक लिमिटेड), एसकेवाईएमईटी आदि, जैसे स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जिसे सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है।

e. दावों के मूल्यांकन के लिए फसल का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पाद शर्त शीट में इसे विशेष तौर उल्लेखित न किया जाए।

4. इस योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें कवर की जा सकती हैं?

आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत अधिकतर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें कवर की जाती हैं

5. इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले प्रीमियम की दरें क्या हैं?

किसानों के लिए बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर में से जो भी कम हो होती है।

6. क्या ओलावृष्टि को कवर किया जाता है?

ओलावृष्टि को तभी कवर किया जाता है जब सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना में उत्पाद को इसके लिए अतिरिक्त कवर के तौर पर मंजूरी दी जाती है।

ओलावृष्टि के लिए अतिरिक्त कवरः अधिसूचित क्षेत्रों में एकाकी खेतों में ओलों की वर्षा के परिणामस्वरूप होने वाली हानि/क्षति।

यदि फसल का नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है जो एक अधिसूचित इकाई के भाग या एक प्लाट को प्रभावित करती है, किसान दावा करने का पात्र है।

<u>पात्रता के मापदंडः</u>

केवल वे किसान दावा कर सकते हैं, जिन्होंने नुकसान से पहले प्रीमियम कर भुगतान किया है/उनके खाते से प्रीमियम काटा गया है।

ध्यान दें: अधिकतम भुगतान निवेशों की लागत से परस्पर संबंधित, बीमित आपदा के उत्पन्न होने पर व्ययित, और कुल बीमित राशि के अधीन होगा।

हानि मूल्यांकन प्रक्रियाः

किसानों को नुकसान के बाद 72 घंटों के भीतर, ओलावृष्टि अतिरिक्त कवर के मामले में, हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना उपलब्ध करवानी होगी और सूचना में सर्वेक्षण संख्या-अनुसार बीमित फसल और प्रभावित एकड़ का विवरण शामिल होना चाहिए।

इसके बाद किसान, जैसा भी दावा भुगतान के लिए अपेक्षित हो, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरे हुए दावा फार्म भी उपलब्ध करवाएगा।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी और मूल्यांकन नियत समयसीमाओं के भीतर पूरा किया जाएगा जिसके बाद क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट जमा किए जाने के पश्चात दावों का भुगतान किया जाएगा।

दावों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए ग्राहक हमारे काल सेंटर को 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं अथवा care@hdfcergo.comपर ईमेल कर सकते हैं।

7. सामान्य प्रीमियम अनुदान अनुपात क्या होगा?

   a. बीमांकिक प्रीमियम दर और किसान भुगतान योग्य प्रीमियम दर को सामान्य प्रीमियम अनुदान अनुपात के तौर पर माना जाएगा, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर साझा किया जाएगा।

   b. कुछ राज्य अपनी अधिसूचना के अनुसार खुद के बजट से नियत अनुदान राशि के ऊपर कुछ अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवाते हैं किसान इसकी जानकारी के लिए उनकी सरकारी वेबसाइटों में देख सकते हैं।

8. आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर किए जाने के लिए किसान की पात्रता क्या है?

   बीमा में दिलचस्पी लेने वाले, बटाईदार और बलकट किसानों सहित सभी सभी किसान इन योजनाओं के तहत कवर किए जा सकते हैं। इससे आगे, कवर किए गए किसानों को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता हैः-

   a. अनिवार्य घटक

      - अधिसूचित फसल(लों)के लिए वित्तीय संस्थानों(जैसे लोनी फार्मर्स) से मौसमीय कृषि संचालन(एसएओ) ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।
      - योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्जदार खेतिहरों के लिए बीमा कवरेज पर जोर डालना अनिवार्य है।

   b. ऐच्छिक घटक

गैर कर्जदार किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक होगी और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसी भी अधिसूचित इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए बीमा प्राप्त करने के इच्छुक खेतिहर निर्दिष्ट तिथि के भीतर पास की बैंक शाखा/पीएसीएस/प्राधिकृत चैनल साझीदार/बीमा कंपनी के बीमा दलाल से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव फॉर्म भरकर, फार्म और अपेक्षित प्रीमियम को बीमा के लिए प्रस्तावित कृषित भूमि/ फसल(उदाहरण स्वामित्व/किराएदारी/उपज अधिकार) में अपनी बीमा दिलचस्पी के संबंध में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बैंक शाखा/बीमा दलाल/सीएससी केन्द्र में जमा कर दें।

- कवरेज के इच्छुक किसानों को निर्दिष्ट बैंक की शाखा में एक खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और प्रस्ताव फॉर्म में इसका विवरण देना चाहिए।

- किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और कृषित भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध करवाने चाहिए।खेतिहर को फसल बुवाई पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- किसान को भूमि के एक टुकड़े पर, अधिसूचित उगाई गई/उगाए जाने के लिए प्रस्तावित फसल(लों) पर केवल एक ही स्त्रोत से बीमा प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी प्रतिरूप या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। इस तरह के सभी मामलों में बीमा कंपनी सभी ऐसे दावों को अस्वीकार करने और प्रीमियम भी न वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

- कंपनी इस तरह के किसानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।

इन दोनों ही घटकों के तहत योजना अधिकतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कवर करने का भी लक्ष्य रखती है।

9. क्या आरडब्ल्यूबीसीआईएस में नामांकन के लिए कोई समयसीमा है?

सभी नामांकन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना में निर्धारित निर्दिष्ट तिथि के भीतर अवश्य पूरे हो जाने चाहिए और किसानों के हिस्से का प्रीमियम को भी बिचौलिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि के भीतर बीमा कंपनी को विधिवत सौंप दिया जाना चाहिए। निर्दिष्ट तिथि से कोई भी देर होने के मामले में बीमा कंपनी के पास दावे को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

10. व्यक्तिगत किसान कि लिए बीमा राशि की सीमा क्या है?

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर वित्त मापन के साथ किसान द्वारा बीमा के लिए अधिसूचित फसल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। खरीफ 2018 के लिए एचडीएफसी एग्रो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए बीमांकित राशि को संबंधित राज्य खंड में देखा जा सकता है।

11. कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है?

a. अनिवार्य घटक के तहत कर्जदार किसानः वित्तीय संस्थान

फसलों की मौसमीपन के अनुसार, बैंकों को वित्त के मानक और अधिसूचित फसल के तहत व्यक्तिगत कर्जदार किसान द्वारा घोषितऔर अनिवार्य कवरेज के विचार में लिए जाने वाले क्षेत्रफल के आधार पर, रवी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग ऋण राशि की पात्रता की गणना करनी चाहिए ।

किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) के तहत फसल ऋण भी बैंकों के जरिए अनिवार्य कवरेज के तहत कवर किए जाते हैं और इन्हें इस स्कीम के अनुपालन से संबंधित सभी रिकार्ड बनाए रखना चाहिए।

कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की जिम्मेदारी नोडाल बैंक की होगी।

वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी की व्यक्तिगत बैंक शाखाएं नोडाल की शाखा के तौर पर काम करेंगी। संबंधित बैंक से संबंधित आवश्यक दिशानिर्देश संबंधित प्रमुख बैंक और वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी के स्थानीय कार्यालयों/प्रशासकीय कार्यालयों द्वारा प्रशासित होंगे।

नोडाल बैंक/शाखाओं द्वारा जमा की गई घोषणाओं में बीमा इकाईयों, प्रति इकाई बीमा राशि, प्रति इकाई प्रीमियम, कुल बीमित क्षेत्रफल, और कवर किए गए किसानों की श्रेणी(लघु और मामूली या अन्य), अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य)के तहत किसानों/महिलाओं आदि की संख्या के साथ उनके बैंक खाते की विस्तृत सूचना आदि विवरण मौजूद होता है।

वाणिज्यिक बैंक/आरआरबी की बैंक शाखाएं निर्धारित समय के भीतर फसल बीमा पोर्टल में प्रशासित प्रारूप में बीमाकिंत किसानों के विवरण सहित समेकित प्रस्ताव सीधे जमा करेंगे।

नोडाल बैंक/बिचौलिए संबंधित शाखाओं से सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक विवरणों जैसे किसान का नाम, बैंक खाता संख्या, गांव, किसानों का वर्ग, खेती का क्षेत्रफल,फसल, बीमांकित राशि, संग्रहीत प्रीमियम, सरकारी अनुदान आदि

आदि व्यक्तिगत किसानों की सूची एकत्र करेंगे और अंतिम निर्दिष्ट तिथि के 15 दिनों के भीतर घोषणापत्र के साथ उसे साथ उसे बीमा कंपनी को भेज देंगे।

12. गैर-कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है?

a. वैकल्पिक घटक के तहत गैर-कर्जदार किसानःचैनल साझीदार/बिचौलिए

वे सभी किसान जिन्होंने एसओए ऋण नहीं लिया है और बीमा में दिलचस्पी रखते हैं आसानी से पास के वाणिज्यिक बैंक या स्थानीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी) या पीएसीएस(डीसीसीबी) शाखा में जाकर कवर करवा सकते हैं। बैंक अधिकारी प्रस्ताव फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों, बीमा राशि और लागू प्रीमियम आदि भरने के संबंध में किसानों की सहायता करेंगे। इस तरह के मामलों में एक बैंक खाता होना आवश्यक है।

वे सभी किसान जिन्होंने एसओए ऋण नहीं लिया है और बीमा में दिलचस्पी रखते हैं वे आसानी से मांगी गई प्रीमियम राशि और आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव फॉर्म को भरकर आईआरडीए द्वारा अधिमान्य और मंजूर दलालों के पास जमा करके कवर प्राप्त कर सकते हैं। अधिमान्य दलाल बीमा दिलचस्पी और भूमि रिकार्ड, 7/12 अवतरण या भूमि अधिकार के रिकार्ड, बुवाई प्रमाणपत्र, आईडी प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक-केवल तभी जब बैंक पासबुक में फोटो प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है और बटाईदार या किराए पर खेती के मामले में लागू अनुबंध/समझौता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करेगा। दलाल व्यक्ति के प्रस्ताव फॉर्म और घोषणापत्र/सूची शीट(एमआईएस)में सारांश विवरण के साथ अपेक्षित प्रीमियम को एकत्र करेगा और व्यक्तिगत/समेकित प्रीमियम को बीमा कंपनी को जमा करेगा, आईए को सॉफ्ट कॉपी और प्रत्येक व्यक्तिगत किसान का विवरण उपलब्ध करवाएगा और साथ ही आंकड़ों को सीधे फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करेगा।

b. वैकल्पिक घटक के तहत गैर कर्जदार किसान-सीधे बीमा कंपनी से

बीमा करवाने में दिलचस्पी रखने वाले गैर-कर्जदार किसान अपेक्षित प्रीमियम और आवश्यक दस्तावेजों जैसे बंटाईदारी या बलकट के मामले में भूमि रिकार्ड या लागू अनुबंध/समझौते के साथ प्रस्ताव फॉर्म को डाक के या फसल बीमा पोर्टल के जरिए बीमा कंपनी को भेज सकते हैं।

बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास है। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो, प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि के 1 महीने के भीतर प्रीमियू वापस

वापस कर दिया जाएगा। प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें_____

11. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू)

1. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस) क्या है?

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो प्रतिकूल मौसम मानकों जैसे वर्षा, तापमान, नमी आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कवर करती हैं। जो किसानों को प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप खेतों में होने वाली हानि से सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।

2. मौसम के कौन से मापदंड हैं जिसके कारण फसलें प्रभावित होती हैं और जोखिम कवर किया जाता है?

मौसम मानदंड वर्षा कमी/अधिकता, सूखे दिनों की परेशानी(सूखा),तापमान की अत्यधिक अस्थिरता, कम/अधिक तापमान, संबंधित नमी, वायु की गति और/या उपर्युक्त सभी का संयोजन हो सकते हैं।

प्रत्येक फसल के लिए उत्पाद के नियम और शर्तें पहले से ही निर्धारित और सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित होता है।

3. दावों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. दावों की गणना उत्पाद की शर्तों की शीट में उल्लेखित पूर्व सहमत सहिष्णुता और सीमा स्तर के लिए की जाती है और दावों की गणना के लिए किसी अन्य प्रणाली और परिकलन का प्रयोग नहीं किया जाता।

b. दावों का मूल्यांकन केवल अधिसूचित मौसम स्टेशन पर मौसम आंकड़ों के आधार पर ही की जाएगी और दावा प्रक्रिया एक बार मौसम आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद प्रारंभ होगी।

c. दावा प्रक्रिया सख्ती से उत्पाद शर्त शीट, भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार होगी।

d. मौसम के आंकड़े आईएमडी(भारतीय मौसमविज्ञान विभाग), एनसीएमएल(राष्ट्रीय सहायक प्रबंधक लिमिटेड), एसकेवाईएमईटी आदि, जैसे स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जिसे सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है।

e. दावों के मूल्यांकन के लिए फसल का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पाद शर्त शीट में इसे विशेष तौर उल्लेखित न किया जाए।

4. इस योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें कवर की जा सकती हैं?

आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत अधिकतर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें कवर की जाती हैं

5. इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले प्रीमियम की दरें क्या हैं?

किसानों के लिए बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर में से जो भी कम हो होती है।

6. क्या ओलावृष्टि को कवर किया जाता है?

ओलावृष्टि को तभी कवर किया जाता है जब सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना में उत्पाद को इसके लिए अतिरिक्त कवर के तौर पर मंजूरी दी जाती है।

ओलावृष्टि के लिए अतिरिक्त कवरः अधिसूचित क्षेत्रों में एकाकी खेतों में ओलों की वर्षा के परिणामस्वरूप होने वाली हानि/क्षति।

यदि फसल का नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है जो एक अधिसूचित इकाई के भाग या एक प्लाट को प्रभावित करती है, किसान दावा करने का पात्र है।

<u>पात्रता के मापदंडः</u>

केवल वे किसान दावा कर सकते हैं, जिन्होंने नुकसान से पहले प्रीमियम कर भुगतान किया है/उनके खाते से प्रीमियम काटा गया है।

ध्यान दें: अधिकतम भुगतान निवेशों की लागत से परस्पर संबंधित, बीमित आपदा के उत्पन्न होने पर व्ययित, और कुल बीमित राशि के अधीन होगा।

हानि मूल्यांकन प्रक्रियाः

किसानों को नुकसान के बाद 72 घंटों के भीतर, ओलावृष्टि अतिरिक्त कवर के मामले में, हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना उपलब्ध करवानी होगी और सूचना में सर्वेक्षण संख्या-अनुसार बीमित फसल और प्रभावित एकड़ का विवरण शामिल होना चाहिए।

इसके बाद किसान, जैसा भी दावा भुगतान के लिए अपेक्षित हो, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरे हुए दावा फार्म भी उपलब्ध करवाएगा।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी और मूल्यांकन नियत समयसीमाओं के भीतर पूरा किया जाएगा जिसके बाद क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट जमा किए जाने के पश्चात दावों का भुगतान किया जाएगा।

दावों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए ग्राहक हमारे काल सेंटर को 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं अथवा care@hdfcergo.comपर ईमेल कर सकते हैं।

7. सामान्य प्रीमियम अनुदान अनुपात क्या होगा?

a. बीमांकिक प्रीमियम दर और किसान भुगतान योग्य प्रीमियम दर को सामान्य प्रीमियम अनुदान अनुपात के तौर पर माना जाएगा, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर साझा किया जाएगा।

b. कुछ राज्य अपनी अधिसूचना के अनुसार खुद के बजट से नियत अनुदान राशि के ऊपर कुछ अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवाते हैं किसान इसकी जानकारी के लिए उनकी सरकारी वेबसाइटों में देख सकते हैं।

8. आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर किए जाने के लिए किसान की पात्रता क्या है?

बीमा में दिलचस्पी लेने वाले, बटाईदार और बलकट किसानों सहित सभी सभी किसान इन योजनाओं के तहत कवर किए जा सकते हैं। इससे आगे, कवर किए गए किसानों को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता हैः-

a. अनिवार्य घटक

- अधिसूचित फसल(लों)के लिए वित्तीय संस्थानों(जैसे लोनी फार्मर्स) से मौसमीय कृषि संचालन(एसएओ) ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।

- योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्जदार खेतिहरों के लिए बीमा कवरेज पर जोर डालना अनिवार्य है।

b. ऐच्छिक घटक

गैर कर्जदार किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक होगी और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसी भी अधिसूचित इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए बीमा प्राप्त करने के इच्छुक खेतिहर निर्दिष्ट तिथि के भीतर पास की बैंक शाखा/पीएसीएस/प्राधिकृत चैनल साझीदार/बीमा कंपनी के बीमा दलाल से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव फॉर्म भरकर, फार्म और अपेक्षित प्रीमियम को बीमा के लिए प्रस्तावित कृषित भूमि/ फसल(उदाहरण स्वामित्व/किराएदारी/उपज अधिकार) में अपनी बीमा दिलचस्पी के संबंध में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बैंक शाखा/बीमा दलाल/सीएससी केन्द्र में जमा कर दें।

- कवरेज के इच्छुक किसानों को निर्दिष्ट बैंक की शाखा में एक खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और प्रस्ताव फॉर्म में इसका विवरण देना चाहिए।

- किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और कृषित भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध करवाने चाहिए।खेतिहर को फसल बुवाई पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- किसान को भूमि के एक टुकड़े पर, अधिसूचित उगाई गई/उगाए जाने के लिए प्रस्तावित फसल(लों) पर केवल एक ही स्त्रोत से बीमा प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी प्रतिरूप या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। इस तरह के सभी मामलों में बीमा कंपनी सभी ऐसे दावों को अस्वीकार करने और प्रीमियम भी न वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

- कंपनी इस तरह के किसानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।

इन दोनों ही घटकों के तहत योजना अधिकतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कवर करने का भी लक्ष्य रखती है।

9. क्या आरडब्ल्यूबीसीआईएस में नामांकन के लिए कोई समयसीमा है?

सभी नामांकन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना में निर्धारित निर्दिष्ट तिथि के भीतर अवश्य पूरे हो जाने चाहिए और किसानों के हिस्से का प्रीमियम को भी बिचौलिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि के भीतर बीमा कंपनी को विधिवत सौंप दिया जाना चाहिए। निर्दिष्ट तिथि से कोई भी देर होने के मामले में बीमा कंपनी के पास दावे को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

10. व्यक्तिगत किसान कि लिए बीमा राशि की सीमा क्या है?

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर वित्त मापन के साथ किसान द्वारा बीमा के लिए अधिसूचित फसल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होती है। खरीफ 2018 के लिए एचडीएफसी एग्रो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों के लिए बीमांकित राशि को संबंधित राज्य खंड में देखा जा सकता है।

11. कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है?

a. अनिवार्य घटक के तहत कर्जदार किसानः वित्तीय संस्थान

फसलों की मौसमीपन के अनुसार, बैंकों को वित्त के मानक और अधिसूचित फसल के तहत व्यक्तिगत कर्जदार किसान द्वारा घोषितऔर अनिवार्य कवरेज के विचार में लिए जाने वाले क्षेत्रफल के आधार पर, रवी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग ऋण राशि की पात्रता की गणना करनी चाहिए ।

किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) के तहत फसल ऋण भी बैंकों के जरिए अनिवार्य कवरेज के तहत कवर किए जाते हैं और इन्हें इस स्कीम के अनुपालन से संबंधित सभी रिकार्ड बनाए रखना चाहिए।

कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की जिम्मेदारी नोडाल बैंक की होगी।

वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी की व्यक्तिगत बैंक शाखाएं नोडाल की शाखा के तौर पर काम करेंगी। संबंधित बैंक से संबंधित आवश्यक दिशानिर्देश संबंधित प्रमुख बैंक और वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी के स्थानीय कार्यालयों/प्रशासकीय कार्यालयों द्वारा प्रशासित होंगे।

नोडाल बैंक/शाखाओं द्वारा जमा की गई घोषणाओं में बीमा इकाईयों, प्रति इकाई बीमा राशि, प्रति इकाई प्रीमियम, कुल बीमित क्षेत्रफल, और कवर किए गए किसानों की श्रेणी(लघु और मामूली या अन्य), अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य)के तहत किसानों/महिलाओं आदि की संख्या के साथ उनके बैंक खाते की विस्तृत सूचना आदि विवरण मौजूद होता है।

वाणिज्यिक बैंक/आरआरबी की बैंक शाखाएं निर्धारित समय के भीतर फसल बीमा पोर्टल में प्रशासित प्रारूप में बीमाकिंत किसानों के विवरण सहित समेकित प्रस्ताव सीधे जमा करेंगे।

नोडाल बैंक/बिचौलिए संबंधित शाखाओं से सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक विवरणों जैसे किसान का नाम, बैंक खाता संख्या, गांव, किसानों का वर्ग, खेती का क्षेत्रफल,फसल, बीमांकित राशि, संग्रहीत प्रीमियम, सरकारी अनुदान आदि व्यक्तिगत किसानों की सूची एकत्र करेंगे और अंतिम निर्दिष्ट तिथि के 15 दिनों के भीतर घोषणापत्र के साथ उसे बीमा कंपनी को भेज देंगे।

12. गैर-कर्जदार किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है?

a. वैकल्पिक घटक के तहत गैर-कर्जदार किसानःचैनल साझीदार/बिचौलिए

वे सभी किसान जिन्होंने एसओए ऋण नहीं लिया है और बीमा में दिलचस्पी रखते हैं आसानी से पास के वाणिज्यिक बैंक या स्थानीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी) या पीएसीएस(डीसीसीबी) शाखा में जाकर कवर करवा सकते हैं। बैंक अधिकारी प्रस्ताव फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों, बीमा राशि और लागू प्रीमियम आदि भरने के संबंध में किसानों की सहायता करेंगे। इस तरह के मामलों में एक बैंक खाता होना आवश्यक है।

वे सभी किसान जिन्होंने एसओए ऋण नहीं लिया है और बीमा में दिलचस्पी रखते हैं वे आसानी से मांगी गई प्रीमियम राशि और आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव फॉर्म को भरकर आईआरडीए द्वारा अधिमान्य और मंजूर दलालों के पास जमा करके कवर प्राप्त कर सकते हैं। अधिमान्य दलाल बीमा दिलचस्पी और भूमि रिकार्ड, 7/12 अवतरण या भूमि अधिकार के रिकार्ड, बुवाई प्रमाणपत्र, आईडी प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक-केवल तभी जब बैंक पासबुक में फोटो प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है और बटाईदार या किराए पर खेती के मामले में लागू अनुबंध/समझौता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करेगा। दलाल व्यक्ति के प्रस्ताव फॉर्म और घोषणापत्र/सूची शीट(एमआईएस)में सारांश विवरण के साथ अपेक्षित प्रीमियम को एकत्र करेगा और व्यक्तिगत/समेकित प्रीमियम को बीमा कंपनी को जमा करेगा, आईए को सॉफ्ट कॉपी और प्रत्येक व्यक्तिगत किसान का विवरण उपलब्ध करवाएगा और साथ ही आंकड़ों को सीधे फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करेगा।

b. वैकल्पिक घटक के तहत गैर कर्जदार किसान-सीधे बीमा कंपनी से

बीमा करवाने में दिलचस्पी रखने वाले गैर-कर्जदार किसान अपेक्षित प्रीमियम और आवश्यक दस्तावेजों जैसे बंटाईदारी या बलकट के मामले में भूमि रिकार्ड या लागू अनुबंध/समझौते के साथ प्रस्ताव फॉर्म को डाक के या फसल बीमा पोर्टल के जरिए बीमा कंपनी को भेज सकते हैं।

बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास है। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो, प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि के 1 महीने के भीतर प्रीमियू वापस कर दिया जाएगा। प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें_____